

सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई

प्रवेश विवरणिका

सत्र 2022–23

website-www.csnhardoi.in
Email- csnpgcollegehardoi@gmail.com



2023



सम्पर्क—सूत्र 05852–20042



Scanned with CamScanner

महाविद्यालय के संस्थापक स्व० श्री बाबू मोहन लाल वर्मा

जन्म 12 अक्टूबर 1912, परिनिर्वाण 09 जनवरी 1979

स्नातक प्रवेश कार्यक्रम

Programme of Undergraduate Admission

Session: 2022-23

Starting of Application form

25-05-2022

Closing Date of Application form

25-06-2022

Entrance Test Date

03-07-2022

Declaration of Result

07-07-2022

Counselling Phase I

10-07-2022

Counselling Phase II

20-07-2022

Registration Fees Rs. 100

Entrance Test Fees Rs. 200

प्राधिकृत नियंत्रक महोदय



अविनाश कुमार आई.ए.एस.
जिलाधिकारी



अ.शा.प.सं. :
जिलाधिकारी
हरदोई (उ०प्र०)
फ़ोन : 05852-234537 (O)
फ़ोन : 05852-234680 (R)
फैक्स : 05852-234868
ईमेल : dmhar@nic.in

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि केन सोसायटीज़ नेहरू महाविद्यालय हरदोई सत्र 2022–23 के लिये प्रवेश विवरणिका का ऑन–लाइन प्रकाशन करने जा रहा है।

मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी अनुपालन और महाविद्यालय की सफल उपलब्धियों विद्यार्थियों के लिये प्रेरक होंगी तथा प्रवेश विवरणिका उनको अपनी रुचि, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में सहायक होंगी।

मैं प्रवेश विवरणिका के सफल प्रकाशन एवं प्रवेश प्रक्रिया में संलग्न समर्त शिक्षकों, शिक्षणेत्र कर्मचारियों तथा महाविद्यालय के प्राचार्य को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

जिलाधिकारी, हरदोई।

प्रभारी अधिकारी महोदय



डॉ० सदानन्द गुप्ता
(पी०सी०एस०)
नगर भविस्ट्रेट, हरदोई।



(कार्यालय) 05852-233704
(मोबाइल) 9454416598
ई-मेल citymagistratehardoi@gmail.com
दिनांक : 18/05/2022

शुभकामना सन्देश

हर्ष का विषय है कि केन सोसायटीज नेहरू महाविद्यालय हरदोई नवीन सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश विवरणिका का प्रकाशन करने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय अपने सुनहरे अतीत के दिव्य आलोक में छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहेगा। नई शिक्षा नीति (2020) के सफल अनुपालन व महाविद्यालय के भावी विद्यार्थियों को संस्था के स्वर्णिम अतीत व उज्ज्वल वर्तमान से परिचित कराने और अपनी रुचि, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में मार्गदर्शक होगी।

(डॉ० सदानन्द गुप्ता)

18/05/22



प्राचार्य की कलम से

आदिमानव संस्कृति से मानव संस्कृति के निर्माण, परिवर्तन, विकास में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा के माध्यम से मानव साहित्यिक, तकनीकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर जैव-जगत की सेवा के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। ज्ञानरूपी संसाधन के माध्यम से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का समुचित उपयोग कर राष्ट्र के सशक्ति निर्माण में योगदान देना विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है। प्राचीन काल में भारत में तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। आजादी के बाद भारत ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना को प्रमुखता दी है। इसी कम में 10 अक्टूबर, 1965 को केन सोसायटीज़ नेहरू महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना होती है।

विगत 58 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफल गाथा लिखते हुये महाविद्यालय धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, लिंग से परे जनपद के सभी अंचलों से आने वाले छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षणेतर कार्यकलापों, एन.सी.सी., एन.एस.एस, रोवर्स/रेन्जर्स, खेल प्रतियोगिता, वैचारिक संगोष्ठी के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रेम बन्धुता, राष्ट्रप्रेम की भावना को अनवरत बढ़ा रहा है। महाविद्यालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशानुसार शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, सम्पूर्णता, एकीकरण, खोजपरक, अधिगम-अभिकेन्द्रित, परिचर्चा आधारित एवं आनन्दमय बनाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) को पूर्णतः लागू किया है। नई शिक्षा नीति संकाय/विभाग के जटिल बन्धनों को तोड़कर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ लेने के लिये मुक्त वातावरण प्रदान करती है। साथ ही लोगों को शिक्षा पूर्ण करने के लिये अवसर प्रदान करती है।

अपने स्थापना काल से लेकर आज तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम गाथा लिखते हुये महाविद्यालय एक बार फिर नये सत्र में विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिये तैयार है। प्रवेश प्रक्रिया, विषय आवंटन की शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिये महाविद्यालय पहली बार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग सहयोग करेंगे।

मैं सभी भावी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ कि विगत वर्षों की भाँति हम सर्वोत्तम शिक्षण के लिये प्रतिबद्ध हैं। यह सब आप लोगों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। 58वर्ष पुराने इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य के तौर पर महाविद्यालय में आपके प्रवेश लेने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

प्रोफेसर (डॉ) कौशलेन्द्र कुमार सिंह
प्राचार्य
सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई।

महाविद्यालय का परिचय

केन सोसायटीज़ नेहरू महाविद्यालय, हरदोई जनपद में कला संकाय का प्रतिष्ठित परास्नातक महाविद्यालय है। इसकी स्थापना स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री मोहन लाल वर्मा जी के सतत् प्रयासों से 10 अक्टूबर 1965 में की गई थी। महाविद्यालय की स्थापना में जिले की दो गन्ना समितियों केन ग्रोवर्स को—ऑपरेटिव सोसाइटी लि० एवं को—ऑपरेटिव केन डेवलपमेण्ट यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों, में महाविद्यालय जिला चिकित्सालय के समुख दो मंजिला भवन में शिक्षण कार्य करते हुए, तत्कालीन प्रबन्ध कार्यकारिणी एवं प्राचार्य के भगीरथ प्रयास से 1972 में महाविद्यालय लखनऊ चुंगी के निकट 11.778 एकड़ के दीर्घ परिसर में नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित हुआ। 14 फरवरी 1978 से यह संस्था प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में जिलाधिकारी हरदोई के संरक्षण में क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में अनवरत् प्रयासरत् है।

महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा एवं लिंग से परे जनपद के सभी अंचलों से आने वाले छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल वातावरण के सृजन के लिए शिक्षणेत्र कार्यकलापों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर्स/रेजर्स, खेल प्रतियोगिता वैचारिक संगोष्ठी के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रेम, बंधुता, राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना है।

वर्तमान समय में महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 को लागू करते हुए स्नातक के विषयों (हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान) एवं परास्नातक के 6 विषयों (हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) में शिक्षण कार्य, नियमित रूप से संचालित हो रहा है। हरदोई जनपद में शोध कार्य के लिए केन सोसायटीज़ नेहरू महाविद्यालय, एक मात्र संस्था है जो 6 विषयों (हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) में शोध कार्य करने का निरन्तर अवसर प्रदान कर रहा है।

महाविद्यालय परिसर



टैबलेट / स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम



महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रम



हन्दी दिवस पर दो छात्राओं को मिला पुरस्कार

हन्दीदेहि (एसएनवी)। विष्णु हिंदी दिवस पर वाराणी के सीतारमण बालोनी में हिंदी विभाग द्वारा अधियोगित वाराणीमें सन् 2020-21 में एसएनवी वर्ष की परिज्ञान में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाली दो छात्राओं को डॉ. विजय वर्मा द्वारा सम्मिलित पुरस्कार देखते समय वाराणी नियमानुसार। दो छात्राओं में प्रथम कु. वाराणी शुभा को १। हातार शरण व दिवीपुर्ण कु. अमृता देवी को ५। वाराणी सरपर विद्यालय बालोनी के प्रथम कु. अवैश्वलेन्द्र कुमार विल द्वारा प्रदान की गयी। प्रथम कु. विल ने बाल विल यह वीरता का नियम ही दिए हैं। विजय वर्मा द्वारा जीवो हिंदी के मर्मज विभाग व वाराणी प्रशिक्षण के वर्षानुक्रम ने दी। विजय वर्मा द्वारा जीवो को एक महान साहित्यिक वर्षानुक्रम वालों। पूर्ण प्राप्तवार्ता को, निर्मल वर्षानुक्रम के द्वारा, डॉ. विजय वर्मा द्वारा मुख्य वालों को भावुक किया गया। डॉ. विजय वर्मा द्वारा मुख्य वालों के जीवो परिचय के उत्तरान करता। वाराणी का संवादान द्वा. वीरता वाल के विभाग। द्वारा वाराणी पर वाराणी की जीवो विभागवार्ता की, साधारण शुभा, डॉ. विश्वानन्द विल, डॉ. अमृता कुमार, बुधा कुमार, विजय विल, दूषा कुमार, निर्मल कुमार, विजेन कुमार, विजेन कुमार, विजेन विलिक वाराणीवार्ता विल, उत्तम कुमार, विजयवार्ता की विभागवार्ता भी दी गई।

महाविद्यालय की उपलब्धियाँ

महाविद्यालय अपने स्थापना वर्ष से लेकर आज तक शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महाविद्यालय के विद्यार्थी, सिविल सेवा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा, सेवा, पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, समाजसेवा व राजनीति आदि क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। महाविद्यालय अपने गैर शैक्षणिक कार्यक्रम एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर्स-रेंजर्स, खेल प्रतियोगिता के माध्यम से सामाजिक समरसता, प्रेम, बंधुत्व, पर्यावरण संरक्षण, साफ-सफाई, जनजागरूकता को बढ़ावा दे रहा है।

❖ महाविद्यालय से अभिनूतन नेट/जे.आर.एफ. उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें

Name

1. Sanjesh Kumar
2. Abhishek Verma
3. Shubham Mishra
4. Avinashi Lal
5. Arti Devi
6. Sandhya Verma
7. Anurag Verma
8. Tabassum Parveen
9. Arun Kumar Rajvanshi
10. Vipin Rathour
11. Prithvi Raj
12. Abhishek Shukla
13. Santoshi
14. Ramadheen
15. Dheeraj Kumar
16. Akhilesh Kumar
17. Roshni Devi

Subject

- Geography
Sociology
Sociology
Sanskrit

- ❖ अब तक महाविद्यालय से 2 लाख से अधिक छात्र/छात्राएं उच्चशिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
- ❖ महाविद्यालय हरदोई जिले का एकमात्र *NAAC* मूल्यांकित कॉलेज है।

❖ मुख्यमन्त्री/अभ्युदय कोचिंग योजना :-

- ❖ सिविल सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग/ NDA/CDS, आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है।

NET/JRF Passed Students With Principal



शैक्षणिक कार्यक्रम

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.ए. में 11 विषय :— हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एवं संस्कृत में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

स्नातक स्तर पर कुल 660 सीटें स्वीकृत हैं।

परास्नातक स्तर पर एम.ए. में हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषय में शिक्षा प्रदान की जा रही है। परास्नातक स्तर के विषयों में सीटें निम्नवत् हैं।

हिन्दी	— 60
संस्कृत	— 60
भूगोल	— 40
अर्थशास्त्र	— 60
समाजशास्त्र	— 60
राजनीति विज्ञान	—120

परास्नातक स्तर के सभी विषयों में शोध कार्य संचालित हैं।

Indira Gandhi National open University

IGNOU for Distance Learning is a Central University which came into existence through an Act of Parliament way back in 1985. In line with its objective of reaching the unreached, the IGNOU Study Centre was established in June 2007 by the then Regional Director Dr Amit Chaturvedi in CSN PG College, in the district of Hardoi which is regarded as one of the most backward districts of the state. Eversince the IGNOU Study Centre has been catering to the needs of providing access to higher education to those underprivileged sections of the society of the district who have largely been deprived of it so far. Besides the courses of BA and MA, several employment oriented Certificate and Diploma courses are conducted at the Centre for the benefit of the poor by being available to them at their door steps so that they can attain excellence in their life through education.

Dr. Sandeep Kumar Sinha
Associate Professor/Co-ordinator
Ignou Center, C.S.N. P.G. College, Hardoi

विभागवार प्राध्यापकों का विवरण

विभाग / संकाय	प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान	01.डॉ० सन्दीप कुमार सिंहा, एसोसिएट प्रोफेसर (एम.ए.पी—एच.डी. जे.आर.एफ)
भूगोल	01.डॉ० पुष्पारानी गंगवार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. पी—एच.डी..) 02.श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए.एलएल.बी. जे.आर.एफ) 03. श्री राकेश सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. जे.आर.एफ.) 04. श्री अमित कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. जे.आर.एफ.) 05. डॉ० अरुण कुमार मौर्य, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. पी—एच.डी. नेट, पी.जी.डी.डी.एम) पी.जी.डी.आर.डी
हिन्दी	01 श्रीमती साधना शुक्ला, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. नेट) 02— डॉ० दीपक कुमार राय, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए.पीएच—डी. नेट) 03— श्री कुश कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एम.ए. एम.एड. नेट) 04— श्री मणिपाल सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एम.ए. जे.आर.एफ.)
अर्थशास्त्र	01—डॉ० शिवेन्द्र सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (एम.ए. एम.फिल पी—एच.डी. नेट)
समाजशास्त्र	01—डॉ० अनिल कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (एम.ए.पी—एच.डी.) 02— सुश्री शिवानी सिंह, अतिथि प्रवक्ता (एम.ए. नेट)
संस्कृत	01— सुश्री रश्मि द्विवेदी, अतिथि प्रवक्ता (एम.ए. नेट)
शिक्षाशास्त्र	01—सुश्री मानवी सिंह, अतिथि प्रवक्ता (एम.ए. नेट)
इतिहास	01—श्री कृष्ण लाल, अतिथि प्रवक्ता (एम.ए. नेट)
अंग्रेजी	01—श्री आनन्द पाठक, अतिथि प्रवक्ता (एम.ए. नेट)

महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं प्राचार्य



Admission

सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई के शिक्षणेत्तर कर्मचारी



सुश्री रागिनी सिंह,
कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक



श्री राम लड़ते वर्मा
वरिष्ठ लिपिक



श्री आशुतोष सिंह
लिपिक



श्री सन्तोष कुमार
चपरासी



श्री अरविन्द कुमार सिंह
चपरासी



श्री रावेन्द्र कुमार
सफाई कर्मचारी



श्री माया प्रकाश
वरिष्ठ लिपिक



श्री अनिल कुमार गुप्ता
पुस्तकालय—लिपिक



श्री अनंगपाल यादव
चपरासी



श्री विवेक कुमार
माली

गैर शैक्षणिक कार्यक्रम—

Sports

NCC

NSS

ROVERS/RANGERS

सेमिनार / प्रतियोगिता

क्रीड़ा विभाग

कार्यक्रम एवं सुविधाएं –

खेल शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के लिए एक आवश्यक पाठ्यक्रम है। प्रदेश एवं केन्द्र की सरकार ने भी खेल को अपने शीर्ष प्राथमिकता में स्थान दिया है। सी.एस.एन.पी.जी. कॉलेज में भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेल आयोजित किए जाते हैं।

- ❖ महाविद्यालय में प्रतिवर्ष महाविद्यालय के संस्थापक बाबूजी मोहनलाल वर्मा के जन्म दिवस 12 अक्टूबर से वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
- ❖ महाविद्यालय में बाबू जी की पुण्यतिथि 09 जनवरी से खेल प्रतियोगिताएं (मुख्यतः क्रिकेट, खो-खो) आयोजित की जाती हैं।

सुविधाएं—

- ❖ महाविद्यालय में जिले का सबसे बड़ा क्रीड़ा मैदान है।
- ❖ महाविद्यालय में क्रिकेट हेतु मैदान उपलब्ध है।
- ❖ एथलेटिक्स हेतु भी महाविद्यालय में पर्याप्त मैदान उपलब्ध है।
- ❖ खो-खो एवं कबड्डी ट्रैक।
- ❖ बालीवाल एवं बास्केटबाल फील्ड / कोर्ट।
- ❖ बैडमिन्टन फील्ड / कोर्ट।
- ❖ टेबल टेनिस कोर्ट आदि।
- ❖ इनडोर गेम्स (शतरंज, कैरम, आदि) की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल अकादमी की उपलब्धता भी है।
- ❖ महाविद्यालय के विद्यार्थियों को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खेलों में प्रतिभाग करने की सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ महाविद्यालय से चयनित खिलाड़ी को जिला स्थित स्टेडियम में खेलने की सुविधा।
- ❖ समय-समय पर खेल विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन की भी सुविधा।

श्री राकेश सिंह
प्रभारी क्रीड़ा विभाग
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग

कीड़ा सम्बन्धी गतिविधियाँ





रोवर्स/रेंजर्स –

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना, जनजागरूकता, राष्ट्र के प्रति संवेदनशील, धर्म, जाति, वर्ग लिंग के परे होकर सेवा प्रदान करने की भावना जागृत करने के लिए रोवर्स/रेंजर्स इकाई की स्थापना की गई है। प्रति वर्ष विशेष कैम्प लगाकर विद्यार्थियों को रोवर्स/रेंजर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त रोवर्स/रेंजर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। महाविद्यालय में 2 यूनिट रोवर्स एवं 2 यूनिट रेंजर्स का गठन किया गया है।

रेंजर्स प्रभारी— डॉ० पुष्पारानी गंगवार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग

रोवर्स प्रभारी— डॉ अरुण कुमार मौर्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग

रोवर्स/रेंजर्स नवयुवकों के लिए एक स्वयं सेवी, गैर-राजनीतिक शैक्षिक आन्दोलन है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी जाति, वंश तथा धर्म के भेद-भाव के खुला है। यह 1907 में संस्थापक लार्ड बैडेन पावेल द्वारा संचालित किये गये लक्ष्य सिद्धांत तथा पद्धति के अनुरूप है।

रोवर्स/रेंजर्स का दूसरे के प्रति कर्तव्यः— स्थानीय राष्ट्रीय, तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति, समझ और सहयोग की भावना से समन्वय रखते हुए अपने देश के प्रति वफादार होना।

अपने साथियों की गरिमा तथा विश्व प्रति की अखण्डता के लिए अभिज्ञान तथा सम्मान के साथ समाज के विकास के भाग लेना।

उद्देश्य— रोवर्स/रेंजर्स आन्दोलन का उद्देश्य नवयुवकों के विकास में इस तरह योगदान करना है जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक तथा सांवेदिक अन्तः शक्ति को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में यथा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के रूप में प्राप्त किया जा सके।

Rovers/Rangers



NCC

❖ National Cadet Corps-

NCC was first by started in 1666 in Germany The NCC in India was raised on 15 July 1948 under the National Cadet Corps Act 1948. It can be traced back to the "**University Corps**" Which was created under Indian Defense Act 1917, with the objective to make up for the shortage in the Army. Today the NCC has an enrolled Strength of more than 13.5 lakh's cadet and it basically comprises of two divisions of all the three services ie the Senior Division (SD) for boys and Senior Wing (SW) for girls.

❖ Motto of NCC

Unity and Discipline (एकता और अनुशासन)

four cardinal principals of discipline-

1. obey with a smile
2. be Punctual
3. work hard and without fears
4. make no excuses and tell no lies

❖ Aim of NCC

1. To develop qualities of development of character, comradeship, discipline, secular outlook, sprit of Adventure, sportsmanship, ideals of selfless services among the youth of the country.
2. To create human resources of organized, trained and motivated youth, to provide leadership in all walks of life and always be available for the service of Nation.
3. To provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in the Armed Forces.

❖ NCC in CSN college

The NCC Unit in CSN College Hardoi was started in 1972. College NCC sanctioned by 63 UP Battalion NCC Lucknow University, Lucknow with 55 cadet strength (SD and SW).

❖ Associated NCC Officer (ANO) in CSN

Shri Amit Kumar

Assistant Professor & ANO

Dept. of Geography

Mobile. 8077140017

Email. amitcsn@gmail.com



एन.सी.सी कार्यक्रम एवं परेड



एन.एस.एस. कार्यक्रम

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का लोक सेवा कार्यक्रम है जो कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित होता है इसकी शुरूआत गांधी जी के शताब्दी वर्ष 1969 में हुई।

उद्देश्य – मैं नहीं आप Not me but you

NSS- IN CSN. P.G. College

हरदोई में एक इकाई (100) स्वयं सेवक की संचालित है इच्छुक छात्र/छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सेवकों NSS का आवंटन आरक्षण के नियमों के अनुसार किया जाता है।

सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई की एन.एस.एस. इकाई द्वारा समय—समय पर एक दिवसीय एवं 07 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है एक दिवसीय कार्यक्रम की एक झलक :—



श्री जितेन्द्र सिंह चौहान
असिस्टेण्ट प्रोफेसर / प्रभारी NSS

प्रवेश समिति :-

महाविद्यालय में सत्र 2022–23 की प्रवेश परीक्षा, काउन्सिलिंग, विषय का आवण्टन, प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालय की प्रवेश समिति के माध्यम से होगा। प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश सम्बंधी लिये गये निर्णय, प्रवेशार्थी के लिए मान्य होगा। प्रवेश पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कॉलेज प्राचार्य का होगा। जो सभी को मान्य होगा।

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. प्रो० (डॉ०) कौशलेन्द्र कुमार सिंह
प्राचार्य | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० अरुण कुमार मौर्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग | संयोजक |
| 3. श्री अमित कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
भूगोल विभाग | सदस्य |
| 4. डॉ० शिवेन्द्र सिंह
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग | सदस्य |
| 5. डॉ० दीपक कुमार राय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग | सदस्य |
| 6. श्री कुश कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
हिन्दी विभाग | सदस्य |

अनुशास्ता मण्डल

- 01— डॉ० पुष्पारानी गंगवार, मुख्य अनुशासक
- 02— श्रीमती साधना शुक्ला, सदस्य
- 03—डॉ० दीपक कुमार राय, सदस्य
- 04— श्री कुश कुमार, सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, सम्पूर्णता, एकीकरण, खोज परक, अधिगम अभिकेन्द्रित विषय, परिचर्चा आधारित, लचीलापन, एवं आनन्दमय बनाने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति (2020) ज्ञान के साथ-साथ, कौशल विकास, रोजगार परक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक प्रयासरत् है। नई शिक्षा नीति संकाय/विभाग के जटिल बंधन रूपी दीवार में बंधने के बजाय विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ लेने के लिए आजाद माहौल प्रदान करती है। साथ ही लोगों को शिक्षा पूर्ण करने के लिए अवसर प्रदान करती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर सेमेस्टर के साथ (CBCS) प्रणाली क्रियान्वित है। नई शिक्षा नीति (2020) में स्नातक कार्यक्रम को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान स्नातक के चरण शामिल करते हुए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया गया है। स्नातक कार्यक्रम को कुल 8 सेमेस्टर में संचालित किया जा रहा है।

स्नातक—

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को दो विषय को मेजर-1, मेजर-2 के रूप में चुनना होगा, एक विषय को माइनर के रूप में लेना होगा। मेजर-1, एवं मेजर-2 में दो-दो प्रश्न पत्र होंगे एवं माइनर का एक प्रश्न पत्र होगा।

Under Graduate Admission Information Brochure

C.S.N. P.G. College, Hardoi

1. वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
The Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backword Classes (Non-Creamy Layer) candidate originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidate of other States will be treated as general category.
2. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।
The reservation shall be given as permissible under the Uttar Pradesh Government/University of Lucknow Rules.
3. जाति तथा आय प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।
Caste and income certificates shall be verified on Government website.
4. ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances.
5. छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken the student who indulge in incidence like ragging during studentship.
6. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान वर्ष में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।
Candidate who are appearing in the qualifying examination in the current year may apply for admission but they should fulfill all eligibility conditions before the day of counseling.

सामान्य सूचना

GENERAL INFORMATION

1. महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार होगा।
The College reserves the right to change or amend the admission rules at any time without prior notification.
2. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं/अनुसूचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक पत्रों के आधार पर प्रवेश पाता है तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
If any candidate gets admission on the basis of false information/improper means or on the basis of false mark sheet/certificates, his/her admission will be treated cancelled from the beginning and legal action will be taken against him/her under Indian Penal Code (IPC).

3. कला स्नातक अभ्यर्थियों का प्रवेश, इस हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची से लिया जायेगा।
4. योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा।
5. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।
6. जिस अभ्यर्थी के इण्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में उच्च प्रतिशत प्राप्त होंगे, उस अभ्यर्थी को पहली वरीयता दी जाएगी।
7. यदि अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किया है।
8. यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक भी बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
9. अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर भारण (यदि कोई है) के लिए हकदार होगा।
10. महाविद्यालय के पास किसी भी प्रवेश को किसी भी अवस्था में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. प्रवेश से सम्बन्धित अध्यादेश के प्रावधानों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में सभी विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश समिति को सौंपे जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रवेश हेतु प्रक्रिया (Procedure for Admission)

1. स्नातक / कला संकाय (NEP) चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ०बी०सी० वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है।
2. कला संकाय में स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन केवल आनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्तिम तिथि के बाद किए गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. महाविद्यालय, स्नातक में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करायेगा, प्रवेश में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
4. कला संकाय में स्नातक अभ्यर्थियों का प्रवेश महाविद्यालय में आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जायेगा।
5. यदि प्रवेश परीक्षा का प्राप्तांक बराबर होगा तो (10+2) में उच्च प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
6. प्रवेश के लिए महाविद्यालय में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।
7. परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जो कि बहुविकल्पीय स्तर का होगा।
8. प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक 100 होगा।
9. प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं होगा।
10. प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 02 घण्टे का समय निर्धारित होगा।
11. प्रश्न पत्र में (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, रिजनिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, खेलकूद, समसामयिक घटनाक्रम एवं हिन्दी भाषा) से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी विषय आवंटन

1. अभ्यर्थियों के प्रवेश प्राप्तांक की मेरिट के अनुसार विषय सीटों के सापेक्ष आवंटित किये जायेंगे।
2. विषय आवंटन महाविद्यालय में काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी उच्च मेरिट रखते हुए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके नीचे वाले अभ्यर्थी को विषय आवंटित होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
4. यदि निर्धारित काउंसिलिंग के बाद कुछ सीटें रिक्त हो जाती हैं तो (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर प्रवेश एवं विषय आवंटित होगा।

काउंसिलिंग प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी कॉलेज की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें कॉलेज द्वारा काउंसिलिंग की तिथि घोषित की जायेगी।
2. सीटों का आवंटन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप होगा।

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न करने होंगे।

1. हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2. 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति
3. अंतिम शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र मूल रूप में एवं टी.सी./प्रवजन प्रमाण—पत्र की मूलप्रति।
4. पूर्व परीक्ष में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को केन्द्र प्रमाण—पत्र की मूलप्रति एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण—पत्र तथा संस्थागत छात्रा के रूप में जिस कक्षा तक अध्ययन किया गया हो, की टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण—पत्र की मूल सत्यापित प्रति।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनका पूर्व वर्षों के अध्ययन में गैप रहा हो, 10 रूपये के नौटेरी के माध्यम से इस आशय का शपथ—पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करें कि उसने विगत वर्षों में कहीं भी संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन नहीं किया है।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/ई.डब्लू.एस./स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/ दिव्यांग सुरक्षाकर्मी/विकलांग/एन.सी.सी. या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने से सम्बन्धित प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. समस्त स्रोतों से अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 दो लाख तक होने की दशा में सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा आय प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (प्रमाण—पत्र प्रारूप | एवं ||| सलंगन है)
9. प्रवेशार्थी के लिए यह अनिवार्य है कि एन्टी रैगिंग शपथ—पत्र (प्रारूप—3) प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करें।

केन सोसायटीज़ नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ चुंगी, हरदोई ।

Subject for B.A.

Group-A	1. हिन्दी साहित्य 2. हिन्दी भाषा	केवल एक विषय का चयन करें।
Group-B	1. अंग्रेजी साहित्य 2. अंग्रेजी भाषा	केवल एक विषय का चयन करें।
Group-C	संस्कृत	
Group-D	इतिहास	
Group-E	अर्थशास्त्र	
Group-F	भूगोल	
Group-G	राजनीति विज्ञान	
Group-H	समाजशास्त्र	
Group-I	शिक्षाशास्त्र	

नोट –

अभ्यर्थी उपरोक्त समूहों में से एक समूह से केवल एक विषय का चयन करेगा, इस तरह अभ्यर्थी को तीन अलग-अलग समूहों में से तीन विषयों का चयन करना होगा। अभ्यर्थी दो से अधिक साहित्यिक या भाषा विषय का चयन नहीं कर सकता।

1. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के दिन अनुपस्थित रहता है अथवा प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकतायें निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस दशा में उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर योग्यताक्रम (Merit) में आने वाले अगले अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार कर लिया जायेगा।
2. बी.ए. प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों का प्रवेश संस्तुत हो जाने की दशा में तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेशाधिकार निरस्त माना जायेगा।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय का परीक्षा आवेदन-पत्र सामान्यतया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में भरे जाते हैं। परीक्षा फार्म का भरा जाना परीक्षार्थी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। परीक्षा आवेदन-पत्र की निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जा सकेंग।
4. यदि कोई प्रवेशार्थी ऑन-लाइन आवेदन के समय किसी भी तरह के असत्य/गलत सूचना देता है तो प्रवेश समिति को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि, उसका प्रवेश निरस्त कर दें, तथा आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण

सत्र 2022–23 की शुल्क संरचना (स्नातक एवं परास्नातक)

क्रमांक	मद का नाम	बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर शुल्क	एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर
1	प्रवेश शुल्क	10.50		7	
2	शिक्षण शुल्क	144		144	
3	मंहगाई शुल्क	42		42	
4	विकास शुल्क	20		20	
5	इलेक्ट्रिक हॉट एण्ड कोल्ड शुल्क	100		100	
6	परिचय-पत्र शुल्क	50	50	50	50
07	वाचनालय शुल्क	12		12	
08	कीड़ा शुल्क	100		100	
09	पत्रिका शुल्क	50		50	
10	प्रेक्टिकल प्रति विषय शुल्क	240		240	
11	पुस्तकालय शुल्क	100		100	
12	पुस्तकालय काशनमनी शुल्क	30		30	
13	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1500	1500	2000	2000
14	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	500		500	
15	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	300		300	
16	प्रोसेसिंग शुल्क	450		450	
17	छात्र संघ शुल्क	50		50	
18	भूगोल प्रयोगशाला कषनमनी शुल्क	20		20	
19	कल्वरल एकटीविटीज शुल्क	50		50	
20	छात्र सहायता निधि कोष	50		50	
21	छात्र कल्याण कोष	16		16	
22	मिडटर्म परीक्षा शुल्क	50	50	50	50
23	वि.वि. प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (भूगोल)	50	50	50	50
24	पुरातन छात्र शुल्क	50	50	50	50
25	डिग्री शुल्क				
26	विश्वविद्यालय कीड़ा शुल्क	0			
योग रु0		3984.50	1700.00	4481	2200

ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा (स्नातक एवं परास्नातक)

1. जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका हो।
2. जो अनुचित साधन प्रयोग का दोषी पाया गया हो।
3. जो गत वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया गया हो।
4. जो किसी आपराधिक मामले में सजा पा चुका हो अथवा जिस पर कोई अभियोजन चल रहा या जिसका आचरण संदिग्ध हो।
5. जिसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए पॉच वर्ष से अधिक का समय हो गया हो तथा स्नातक के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए पॉच वर्ष से अधिक का समय हो गया हो।
6. अनियमित रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेने पर अथवा प्रवेश सम्बंधी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
8. कक्षायें आरम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्र एवं छात्रा को विषय की शुल्क रसीद / बैंक जमा पर्ची दिखाकर विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं संस्था के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड का गठन किया है। महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था तोड़ने पर दोषी छात्र/छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को प्राप्त है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक अनुशासन समिति के पदेन सदस्य हैं।

प्रत्येक छात्र/छात्रा को अनुशासन सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र/छात्रा को एवं महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।
2. मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग महाविद्यालय परिसर में निषिद्ध है।
3. किसी भी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में लाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. छात्राओं के लिए कामनहाल की व्यवस्था है, जहां वे खाली वादनों में बैठ सकती हैं।
5. पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा या अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. रैगिंग संज्ञेय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ इण्डियन पैनल कोर्ट (आई०पी०सी०) के अन्तर्गत Act against Ragging के तहत दण्ड निर्धारित होगा तथा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित योग्यता एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रवेश लेता है तो तथ्य उद्घाटित होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उसके प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।
8. महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति अशालीन व्यवहार करना, या किसी बात को मनवाने के लिए सहपाठियों एवं छात्र/छात्राओं को प्रशासन के विरुद्ध भड़काना, प्रदर्शन एवं आंदोलन करना अनुशासनहीनता है। ऐसे में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. छात्र/छात्राएं अपने वाहन स्टैण्ड पर ही खड़ा करें। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा।
10. यदि कोई भी छात्र/छात्रा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके स्कालर रिकार्ड में तथा महाविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ट अंकित की जाएगी।

11. भारण एवं आरक्षण के लिए प्रमाण—पत्र निम्नलिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे

वर्ग

1. उत्कृष्ट खिलाड़ी या गाइड / रेंजर (पिछले 03 वर्षों में)
2. विकलांग
3. स्वतंत्रता सेनानी के वास्तविक आश्रित पुत्र / पुत्री / पौत्री
4. सांस्कृतिक / पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में पिछले 03 वर्षों में विशेष उपलब्धि।
5. एन.सी.सी.—बी. / सी. प्रमाण पत्र
6. अनु. जाति / जनजाति तथा
7. अनु.जाति / अन्य पिछड़ी जाति / वर्ग / ई0डब्लू0एस0

सक्षम अधिकारी

- शिक्षा अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी या आयोजक संस्था के अधिकारी या लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष या प्रधानाचार्य प्रतिहस्ताक्षर। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिलाधिकारी
- शिक्षा अधिकारी, आयोजक संस्था के अधिकारी
- सम्बन्धित यूनिट / बटालियन के समादेश अधिकारी। जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट
- परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार।
- जिला अथवा क्षेत्रीय अधिकारी / आयोजक या संचालक कानूनी / अधिकृत अधिकारी / अभिलेख सोल्जर्स बोर्ड / सक्षम सैन्य अधिकारी या अभिलेख
- जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नियमानुसार भारण (Weightage) देय होगा:— ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जनपद में चयन के पश्चात टीम की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पिछले दो वर्षों में भाग लिया हो। डी.आई.ओ.एस. / आर.आई.जी.एस. / डी.डी.ओ. द्वारा दिये गये मूल प्रमाण—पत्र ही केवल मान्य होंगे।

अथवा

- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रतियोगिताएं आधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों। इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों अथवा राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल प्रमाण पत्र ही केवल मान्य होंगे।
12. यदि किसी अभ्यर्थी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्ष उत्तीर्ण की है तो उसे परास्नातक में प्रवेश के समय मेरिट (योग्यता) अंकों में 5 अंक का भारांक दिया जायेगा लेकिन प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए इसको नहीं जोड़ा जायेगा।
 13. नोट—
 14. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार / लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

प्रतिशत / भारांक

- | | |
|-------------------------------------------------|--|
| 3 प्रति भारांक | |
| 3 प्रति. क्षैतिज | |
| 2 प्रति. भारांक | |
| 3 प्रति. भारांक | |
| 3 प्रति. भारांक | |
| जनजाति 21+2 प्रतिशत, पि.जाति 27 / प्रति.10प्रति | |
| 3 प्रतिशत | |
| 1 प्रति, क्षैतिज | |
| 2 प्रति. क्षैतिज | |

गैप ईयर हेतु शपथ—पत्र का प्रारूप— 01

(10 रुपये के स्टाप्प पेपर पर नौटरी द्वारा सत्यापित)

1. मैं,पुत्र/पुत्री श्री

पता.....

.....जो आपके महाविद्यालय (सी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज, हरदोई)
में कक्षामें प्रवेश लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

2. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इण्टर/बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्षमें उत्तीर्ण की है इसके बाद वर्ष.....से वर्ष.....तक मैंने किसी भी अन्य संस्थागत विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल मेंकारण/कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था/सकी थी।
3. यदि मेरा उक्त बयान/घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
4. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

प्रार्थी/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तिथि :

प्रार्थी का नाम

पिता का नाम.....

पता.....

संलग्नक
(प्रारूप—१)
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति

प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र संख्या

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस..... थाना.....

तहसील..... जिला..... राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार
की कुल वार्षिक आय रु. ८.०० लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्य में
निम्नलिखित में से कोई भी परसम्पत्ति नहीं है—

- i. ५ (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक फ्लैट।
 - iii. अधिसूचना नगर पालिका के अन्तर्गत १०० वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - iv. अधिसूचना नगर पालिका से इतर २०० वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जाति..... के सदस्य हैं, जो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचना नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय की मुहर सहित)
पूरा नाम.....
पदनाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी जिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

कार्यालय—ज्ञाप—संख्या—3/2019/4/1/2002/का—2/19टी.सी.—।।, दिनांक 14 मार्च 2019 का

संलग्नक

(प्रारूप—।।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा—पत्र

स्वयं घोषणा—पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी.....

ग्राम/कस्बापोस्ट ऑफिस.....

जिलाराज्य..... में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन—पत्र दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :—

1— मैंजाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2— मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु.....
(शब्दों में).....है।

3— मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम).....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4— मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :—

- i. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक फ्लैट।
- iii. अधिसूचना नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- iv. अधिसूचना नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण—पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण—पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा। और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहाँगी।

नोट— जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :

दिनांक :

UNDERTAKING / DECLARATION

I,.....S/o or D/o Shri.....

hereby declare that :-

1. The facts given by me in the admission form are true to the best of my knowledge. I declare that I have not concealed any fact which is important to be disclosed by a bonafied student of the University/ college/ Institution. I understand that concealment of facts is punishable at any point of time.
2. I agree to abide by the rules and regulations of University/ college/ Institution applicable from time to time and will not indulge in any activity which brings disrepute to my college/Institute and/University. I also declare that I will not pursue for appearing in University Examination if my attendance falls below 75%
3. I understand that ragging as defined by the authorities like Hon'ble Supreme Court/ Hon'ble High Court/Central Govt./ State Govt./UGC/University etc. is punishable offence. I am fully aware of the consequences of my indulgence in any sort of ragging and hence. I will not involve myself in any act of ragging on and off compous of the University/College/Institution.
4. I also understand, in case, I am found Guilty of any such activity, narrated in foregoing points. I will be liable for punishment which may be to the extent of expulsion/rustication from the University/College/Institution including initiation of legal criminal proceeding against me.
- 5.

Signature of the Students:.....

Name of Student :.....

Father's Name :.....

Course of study :.....

Year of admission :.....

The above named candidate is Son/Daughter in Law/Son –in Law/wife/ward of the undersigned. The undersigned as Parent/Guardian owes whole responsibility to the above declaration signed by the above named student. In case, the above named student is found Guilty of any unlawful activity/ragging done by him/her, the undersigned will have no objection if he/she is blacklisted/debarred/expelled/rusticated and/or any legal criminal proceeding is initiated against him/her by the State/University/College at any stage during his/her course of study.

As Parent/Guardian, the undersigned himself/herself will be agreeable to any punitive action taken against the above named student by the State/University/ College/Institution as per statuory provisions.

Signature of Parent/Guardian:.....

Name of Parent/ Guardian:.....

Relation with the Student:.....

Date :.....

Place :.....

केन सोसायटीज़ नेहरू (पी0जी0) कालेज, हरदोई ।



दूरभाष नं० 05852—220042 E-mail csnpgcollegehardoi@gmail.com
(सहयुक्त—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०)

स्नातक में प्रवेश परीक्षा का **SYLLABUS**

सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई में सत्र 2022—23
स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित
विषयों से प्रश्न पूछे जायेगें ।

01—इतिहास

02—भूगोल

03—राजनीति विज्ञान

04—रिजनिंग

05—विज्ञान

06—अर्थशास्त्र

07—खेलकूद

08—हिन्दी भाषा

09—अंग्रेजी भाषा

10—समसामयिकी से सम्बन्धित प्रश्न

नोट— एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय
से प्रश्न पूछे जायेगें ।